

प्रारूप-2 (ख)

(अनुसूची-3-11 (ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम हेतु)
(चिकित्सा महाविद्यालय में स्टेट कोटा अथवा ऑल इण्डिया कोटे से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित
अभ्यर्थी के लिये)

फोटो

**ग्रामीण सेवा बॉण्ड
सम्यक रूप से स्टांपित (बंध पत्र की राशि का 0.5 प्रतिशत)**

- 1- मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
निवासी मध्यप्रदेश के चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
में शैक्षणिक सत्र..... में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ ।
- 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018,
संशोधन 19 जून 2019 संशोधन 05 अक्टूबर 2021, संशोधन 26 जुलाई 2022, संशोधन नियम 10 मई
2023 संशोधन 02 जुलाई 2024 तथा संशोधन 3 सितम्बर 2025 को भलीभांति पढ़कर समझ लिया
है ।
- 3- मैं एतद्वारा यह बंध पत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती/करता हूँ कि :-
- अ- मैं चिकित्सा स्नातकोत्तर ((MD/MS) पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत शासन द्वारा निर्दिष्ट
स्थानों पर विहित अवधि तक अनिवार्य रूप से चिकित्सा सेवा प्रदान करूंगी/करूंगा ।
- ब- गैर सेवारत अभ्यर्थी -ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री हेतु एक वर्ष होगी एवं
बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रु0 10 लाख शासन को भुगतान करने का वचन
देता/देती हूँ ।
- स- शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संबंधित
संस्था के अधिष्ठाता के नाम पर निष्पादित करना होगा । निजी चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित
अभ्यर्थी को ग्रामीण सेवा बॉण्ड संचालक चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश के नाम पर निष्पादित करना
होगा ।
- द- सेवारत अभ्यर्थी- ग्रामीण सेवा की विहित अवधि स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम हेतु पांच वर्ष की
होगी । बॉण्ड के अन्तर्गत सेवा न करने की स्थिति में रु0 50 लाख शासन को भुगतान करने का
वचन देता/देती हूँ ।
- ध- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत कार्यरत सेवारत अभ्यर्थी को पाठ्यक्रम पूर्ण करने
के पश्चात् 05 वर्ष की अनिवार्य सेवा करनी होगी । बॉण्ड के अन्तर्गत 05 वर्ष की सेवा न करने
पर बॉण्ड राशि रुपये 50 लाख जमा करने होंगे ।
- च- यह कि ग्रामीण सेवा बॉण्ड राशि जमा न करने की स्थिति में मेरे द्वारा महाविद्यालय में जमा कराये
गये मूल दस्तावेज वापस नहीं किये जायेंगे ।

हस्ताक्षर आवेदक

गवाह :-

1.....

2.....